

Ref. No. CGTMSE /

11 अप्रैल April 11, 2023

क्रेडिट गारंटी योजना - I और II

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (एमएलआई) | Credit Guarantee Scheme - I & II

All Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE

परिपत्र संख्या 224/2023-24

Circular No.224/2023-24

महोदया/ प्रिय महोदय Madam / Dear Sir,

मेघालय क्रेडिट गारंटी योजना Meghalaya Credit Guarantee Scheme (MeCGS)

हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने के लिए मेघालय सरकार के साथ सहयोग किया है। तदनुसार, मेघालय राज्य में स्थित एमएसई के लिए 95% गारंटी कवरेज के साथ एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना "मेघालय क्रेडिट गारंटी योजना (एमईसीजीएस)" शुरू की गई है। योजना के तहत, संबंधित एमएलआई के दावों को क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के अधिकतम 10% एनपीए स्तर तक निपटाया जाएगा (पोर्टफोलियो को हर वित्तीय वर्ष में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)। हालाँकि, 10% से ऊपर एनपीए स्तर के संबंध में प्राप्त दावे का निपटान सीजीटीएमएसई की सामान्य क्रेडिट गारंटी योजना के तहत किया जाएगा।

We are pleased to inform that CGTMSE has collaborated with the Government of Meghalaya for introducing a Special Credit Guarantee Scheme. Accordingly, a Special Credit Guarantee Scheme "Meghalaya Credit Guarantee Scheme (MeCGS)" has been launched for the MSEs situated in the State of Meghalaya with 95% of guarantee coverage. Under the Scheme, claims of the respective MLI will be settled maximum upto 10% NPA level of crystallized portfolio (portfolio will be crystallized every FY). However, claim received in respect of NPA level above 10% will be settled under the normal Credit Guarantee Scheme of CGTMSE.

यह योजना 01 नवंबर, 2022 से प्रभावी हो गई है। सभी मौजूदा एमएलआई एमईसीजीएस के तहत पात्र होंगे। 95% गारंटी कवरेज के अलावा, क्रेडिट गारंटी योजनाओं (बैंकों के लिए सीजीएस - I और एनबीएफसी के लिए सीजीएस - II) के अन्य सभी नियम और शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, एमईसीजीएस के तहत लागू होंगी।

The Scheme is made effective from November 01, 2022. All the existing MLIs shall be eligible under MeCGS. Apart from 95% guarantee coverage, all other terms and conditions of the Credit Guarantee Schemes (CGS – I for banks and CGS – II for NBFCs) shall be applicable, mutatis mutandis, under MeCGS.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

1^{ली} मंजिल, सिडबी स्वावलंबन भवन, एवेन्यू 3, लेन 2, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Set up by Government of India & SIDBI)

1st Floor, SIDBI Swavalamban Bhavan, Avenue 3, Lane 2, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

☎ +91-22-67531553 | 🌐 www.cgtmse.in | 📞 1800 222 659 | 📧 @CGTMSEOfficial | 📺 CGTMSE Youtube Channel | 🐦 @CGTMSEOfficial





स्वीकृति नोट

यह पहल मेघालय राज्य में एमएसई को वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। हम एमईसीजीएस को लोकप्रिय बनाने में आपकी सहायता चाहते हैं ताकि योजना का लाभ उचित रूप से प्राप्त हो। This initiative will support meeting the needs of financial assistance to the MSEs in the State of Meghalaya. We look forward to you, for popularizing MeCGS & ensuring that the benefit of the Scheme is properly actualised.

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को मेघालय राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लायें।

The contents of this circular may please be brought to the notice of all your offices located in the State of Meghalaya.

भवदीय Yours faithfully,

ह/स/-

(धीरज कुमार Dhiraj Kumar)

सहायक महाप्रबंधक Asst General
Manager